UPGK010051252026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2240/2026

मुस्तफा अली पुत्र जाकिर हुसैन, उम्र–35 वर्ष
निवासी–गांधी कालोनी देवबंद, जिला सहारनपुर, उ0प्र0।

............आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं0–150/2026
धारा–109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता
थाना–गोला, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

1. जमानत का यह प्रार्थना–पत्र, आवेदक/अभियुक्त मुस्तफा अली के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अपराध सं0–150/2026, धारा– 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना गोला, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. मामले के तथ्यों के अनुसार दिनांक 28.04.2026 को मुखबिर खास की इस सूचना पर कि अपने थाना क्षेत्र गोला बाजार मे देवास स्वर्ण कला केन्द्र मे हुई लूट से सम्बन्धित दो व्याक्ति अपने अन्य तीन साथियो के साथ दो पहिया वाहन से चीनी मिल तिराहे से आगे सकरदेहिया गाँव के निकट बाइक खडा कर आपस में किसी बडी घटना करने के उद्देश्य से गोला कस्बे मे जाने वाले है यदि जल्दी किया जाय तो पकडे जा सकते है, पर विश्वास करके थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह अपने हमराही पुलिस कर्मचारीगण के द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो मुखबिर खास को टीम के और आगे जाकर टार्च से इशारा करने हेतु बताया गया कुछ समय बाद दो लाइट सडक पर आती दिखायी दिया तभी मुखबिर खास ने टार्च से इशारा किया और हट बढ गया आती हुई रोशनी जब द्वितीय टीम जो उ0नि0 विवेक सिह के नेतृत्व मे सकरदेहिया के निकट सडक के किनारे खेतो में छिपी थी को पार कर लिये तब हम लोग सडक पर एकाएक आकर आते हुये लोगो को टोकते हुये टार्च की रोशनी से रूकने का इशारा किया तो बदमाशो द्वारा सडक के किनारे मो0 सा० को एक स्टैण्ड पर खड़ा कर हम पुलिस वालो को जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम को लक्ष्य कर फायरिंग शुरू कर दिया गया। हम लोगो ने सिखलाये गये तरीको का प्रयोग कर अपना बचाव किया जिससे हम पुलिस वाले बाल–बाल बचे। हम पुलिस वालो के पास आत्मरक्षार्थ बदमाशो की ओर फायर करने के अलावा और कोई विक्लप नही रह गया था फलस्वरूप श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय गोला द्वारा अपने सरकरी पिस्टल से 2 राउन्ड तथा मुझ थानाध्यक्ष द्वारा 2 राउन्ड व उ0नि0 विवेक सिह द्वारा 2 राउन्ड आत्म रक्षार्थ सरकारी पिस्टल से

जबाबी फायरिंग करते हुये उन्हे पकडने का प्रयास किया गया तो बदमाश पीछे मुडकर खेतो में भागने लगे कि दूसरी टीम के उ0नि0 विवेक सिह व उनकी टीम द्वारा बदमाशो का पीछा किया गया। भागते हुये बदमाशो द्वारा पुलिस पार्टी पर ईट पत्थर फेका जाने लगा भागते हुये बदमाशो को दौडाकर कर 40–50 कदम पर तीन बदमाशो को पकड लिया गया तथा सामने से फायरिग बन्द होने पर प्रथम टीम द्वारा आगे बढकर देखा गया तो दो बदमाश घायल अवस्था मे सडक पर गिरे पडे है जिनके पास पहुंचे तो सडक के दाहिने किनारे पर गिरे बदमाश से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मेंहदी हसन पुत्र सलीम अली निवासी लहसडबडा देवबन्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर उम्र 40 वर्ष बताया जिसके बाये पैर में गोली लगी है खून टपक रहा है मेरे द्वारा तफतीशी बैग से कपडा निकाल कर गोली लगे घाव के स्थान पर को रक्तस्राव रोकने के लिये बाँधा गया बारी बारी से प्रत्क बदमाशो की जामा तलाशी मेहदी हसन के हिने हाथ में देशी तंमचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 जो चेम्बर मे कसा हुआ है तथा पहने हुये पैन्ट के बाये जेब से एक अदद जिन्दा करतूस 315 बोर व 6 अदद कान का झाला पीली धातु तथा दाहिने जेब से एक अदद मोबाईल रियलमी व 1490 रुपये नकद बरामद हुआ बरामद शुदा तंमचा की हुलिया बाडी से लेकर बट तक लम्बाई 10 अंगुल, बैरल की लम्बाई 7 अंगुल बट पर दोनो तरफ लकडी की चाप लगा कर रिपिट से कसा गया है नाल को खोलने व बन्द करने के लिये लोहे की पती व स्प्रिंग लगा हुआ है हैमर व ट्रिगर लोहे का चालू हालत में है लोहे का ट्रिगर गार्ड लगा हुआ है जिन्दा कारतूस के पेदे पर 8 mm KF लिखा है चैम्बर में फसे कारतूस के सावधानी पूर्वक निकाल कर देखा गया तो पेदे पर 8 mm KF लिखा हुआ मिला व दूसरे बदमाश का नामपता पूछा गया तो अपना नाम रेहान अली पुत्र युसुफ अली निवासी गांधी कालोनी देवबन्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उम्र 29 वर्ष बताया जिसके दाहिने पैर में गोली लगने से खून टपक रहा है जामा तलाशी से दाहिने हाथ मे देशी तंमचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर जो चेम्बर में फंसा हुआ है तथा पहने हुये पैन्ट के बाये जेब से एक अदद जिन्दा करतूस 315 बोर व 2 अदद कान का झाला पीली धातु एक अदद अगूठी सफेद धातु नग लगा हुआ तथा दाहिने जेब से एक अदद मोबाईल की पैड मैटरोला व 2400/–रूपये नकद बरामद हुआ बरामद शुदा शस्त्र की हुलिया बाडी से लेकर बट तक लम्बाई 10 अंगुल, बैरल की लम्बाई 7 अंगुल बट पर दोनो तरफ लकडी की चाप लगा कर रिपिट से कसा गया है नाल को खोलने व बन्द करने के लिये लोहे की पत्ती व स्प्रिंग लगा हुआ है हैमर व ट्रिगर लोहे का चालू हालत में है जिन्दा कारतूस के पेदे पर 8 mm KF लिखा है चैम्बर मे फसे कारतूस को सावधानी पूर्वक निकाल कर देखा गया तो पेदे पर 8 mm KF लिखा हुआ मिला अभियुक्त गणो के पास से बरामद शुदा तंमचा रखने का अधिकार पत्र माँगा गया तो दिखाने से कासिर रहे बरामद शुदा तंमचा. 315 व खोखा व जिदा करतूस को अलग–अलग पारदर्शी डिब्बे मे रख कर सील सर्वमुहर किया गया तथा नमूना मुहर तैयार किया गया तथा बरामद हुये वस्तुओ के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताये कि दिनाँक 27.04.26 को गोला बाजार कस्बे मे देवास स्वर्ण कला केन्द्र से लूटे गये आभूषण है जिसे हम लोग अभी अपने पास रखे है बटवारा नही कर पाये है। हम लोगो की कुल 5 लोगो की टीम है जिसमे मुस्तफा अली व अफजाल अली द्वारा दुकानो का रैकी कर हम लोगो को बताया जाता है फिर साकिर अली मोटर साइकिल से हम दोनो को दुकान के आसपास छोड कर तैयारी हालत में खड़ा रहता है हम घटना को अंजाम देकर साकिर के मोसा० भाग जाते है। आज फिर हम लोग गोपालपुर में घटना करने वाले थे कि आप लोगो द्वारा पकड लिया गया। अपने किये हुये गलती की बार–बार माफी माँग रहे है। तफसीशी बैग के कपडा निकाल कर गोली लगने के स्थान को बाँध कर अपराध बोध कराते हुये कारण गिरफ्तारी सम्बन्धित मु0अ0स0 148/26 धारा 303(2), 318(4) व बरामदगी माल

मसरूका आधार पर धारा 309 (4) 317(2) 3(5) bns की बढ़ोतरी किया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है। तथा अभियुक्त गण द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी पर पर जान से मारने की नीयत फायर करना जो जुर्म धारा 109(1), 3(5) BNS व 3/25/27 शस्त्र अधि० का दण्नीय अपराध है अभियुक्त गणो को अपराध बोध कराते हुये आज दि० 29.4.26 को समय 4.55 बजे अन्तर्गत धारा 109 (1), 3(5) BNS व 3/25/27 शस्त्र अधि० तथा 309 (4), 317(2),3(5) bns मे हिरासत पुलिस में लिया गया अभियुक्त गण को गोली लगी हुई है चोटिल अभियुक्त गण के जीवन रक्षा के दृष्टिगत मानवीय दृष्टकोण अपनाते हुये उ0नि0 राजेन्द्र सिह उ0नि0 देबेन्द्र यादव की अभिरक्षा में का0 1–सद्दाम को मेहदी हसन व का02 का0 कमलेश यादव को रेहान अली के अभिरक्षा में वास्ते इलाज सीएचसी गोला सरकारी से रवाना किया गया।। दूसरी टीम द्वारा पकडे गये तीसरे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम शाकिर अली पुत्र जाकिर हुसैन उम्र 40 वर्ष निवासी गांधी कालोनी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर बताये जामा तलाशी से एक अदद की पैड लावा फोन व 5200/– रूपये नकद तथा दूसरे ने अपना नाम मुस्तफा अली पुत्र जाकिर हुसैन उम्र 32 वर्ष निवासी गांधी कालोनी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर जामा तलाशी से रियलमी का फोन 3700/– रुपये व तीसरे ने अपना नाम अफजाल अली पुत्र युसुफ अली उम्र 30 वर्ष निवासी झरन छपरा वार्ड नम्बर 6 थाना ब्रम्हपुरा जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) बताया जामा तलाशी से एक अदद फोन नारजो और 4100/– रूपये नकद बरामद हुआ अभियुक्त गणो से सामूहिक रूप से बरामद शुदा रूपयो के सम्बन्ध में पूछताँछ किया गया बता रहे है कि हमारी कुल 5 लोगो की टीम है जिसमे से मुस्तफा अली व अफजाल रैकी करके बताते है तब साकिर मोटर से मेहदी हसन व रेहान को लेकर घटना को अंजाम देते है। हम लोगो द्वारा दिनाँक 27.04.26 को कस्बा गोला देवास स्वर्ण कला केन्द्र मे घटना कारित किया गया था जिसके सामानो का अभी बटवारा नही हो पाया था तथा आज हम लोग गोपालपुर कस्बे में घटना करने वाले थे जो पैसे हम लोगो के पास से बरामद हुये है वह पैसे पूर्व मे किये गये घटनाओ मे मिले हिस्से में खर्च के बाद बचे हुये पैसे है पूर्व की घटना के सम्बन्ध में पूछा गया तो बता रहे है कि किस घटना का पैसा है याद नही है। उपरोक्त अभियुक्तगण को उनके द्वारा किये गये अपराध सम्बन्धित अपराध संख्या 148/26 धारा 309 (4), 317(2), 3 (5) bns मे तथा एक राय होकर इनके साथियो द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से किये गये फायरिंग व चलाये गये ईट पत्थर का अपराध जुर्म धारा 109(1), 3(5) bns का अपराध बताकर पुलिस हिरासत में लिया गया उक्त घटना के सम्बन्ध में जरिये आरटीसेट अफसरान वाला व फील्ट यूनिट को सूचना दिया गया बरामदशुदा रुपया, मोबाईल व धातु के जेवरातो को अलग अलग पार्दशी डिब्बे में रख कर सील सर्वमोहर कर, नमूना मोहर तैयार किया गया। तथा बरामद मो० सा० नम्बर अपाची यूपी 51 बीपी 8683 चेसिस नम्बर MD634BE86R2L27251 व दूसरी मोसा0 हीरो स्पेलण्डर प्रो जिसपर नम्बर प्लेट नही लगी है का चेसिस नम्बर MBLHA10ADCHA73554 को कब्जा पुलिस में लिया गया। दौरान गिरफ्तारी व बरमादगी माननीय सर्वोच्च्य न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। दौरान कार्यवाही जनता के आने जाने वाले एक्का दुक्का राहगीर रास्ता आते जाते एकत्र हो गये जिनसे गवाही हेतु कहा गया परन्तु भलाई बुराई के डर से कोई भी व्यक्ति गवाही को तैयार नहीं हुए, मौके से हट बढ़ गये।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवं निरपराध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दो

अलग–अलग पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तारी करना बताया जाता है तथा प्रार्थी की गिरफ्तारी दूसरी टीम द्वारा करना बताया जाता है परन्तु उक्त गिरफ्तारी दूसरी टीम द्वारा कहाँ की गई है इस बात का कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में कही नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना सुबह की है जिस समय उजाला नहीं हुआ था तथा मुखबीर द्वारा दूर से ही सड़क पर दो लाईट आती दिखाई देने पर टार्च से इशारा करने की बात बताई गई है जिससे घटना पूर्णतः संदेहास्पद हो जाती है। प्रार्थी के पास से किसी भी प्रकार की कोई वस्तु बरामद नहीं हुयी है। प्रार्थी न तो सह अभियुक्तो को जानता पहचानता है और न ही प्रार्थी का सह अभियुक्तो से कोई वास्ता सरोकार नही है। आवेदक न तो पुलिस पार्टी पर कोई फायर किया है एवं न ही आवेदक के कब्जे से कोई बरामदगी हुयी है। किसी भी पुलिस वाले को कोई आग्नेयास्त्र की चोट नहीं आयी है। तथाकथित बरामदगी का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थी दिनांक 29.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। इन समस्त आधारों पर उसके द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य सह–अभियुक्तों के एकराय होकर जान से मारने की नीयत से पुलिस बल के उपर तमंचों से फायरिंग की गई एवं आवेदक/अभियुक्त को पुलिस बल द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया एवं कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। अतएव मामले की गम्भीरता एवं आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

5. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

6. फर्द बरामदगी में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तगण के साथ एकराय होकर पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से तमन्चे से फायर करने का गम्भीर अभिकथन है। आवेदक/अभियुक्त को मौके से गिरफतार किया गया है। परन्तु कथित घटना में कोई भी पुलिस कर्मी फायरिंग से चोटहिल नहीं हुआ है। न ही किसी भी चोटहिल के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई आघात आख्या उपलब्ध है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 29.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना कहा गया है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त मुस्तफा अली द्वारा मु0–50,000/–(पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं सहित, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर, निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उसे दौरान विचारण नियमित जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पदित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विचारण में सहयोग करेगा,
2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
4. आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा एवं अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान मामले के गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांकः 05.06.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.05 16:17:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court